प्रेषक,

शिक्षा निदेशक(बेसिक),
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

1—मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक),
समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।

2—जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः शि0नि0(बे0)/मान्यता/38274-371 /2025-26 दिनांक 10/10/2025

विषयः अशासकीय प्राथमिक एवं जूनियर हाई स्कूल की मान्यता के स्थायीकरण के सम्बन्ध में

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या—419/79—6—2013—18(20)/91 दिनांक 08 मई 2013 व शासनादेश संख्या—418/79—6—2013—एस(7)/89 दिनांक 08 मई 2013 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा अशासकीय नर्सरी/प्राथमिक(प्राइमरी)/उच्च प्राथमिक(जूनियर हाईस्कूल) स्कूल हिन्दी व अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों की मान्यता दिये जाने सम्बन्धी संशोधित मानक एवं शर्तें निर्धारित की गयी है।

उक्त शासनादेश के प्रस्तर—13 में मान्यता दिये जाने हेतु निम्नवत प्राविधान है—

"प्रथमतया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता तीन वर्ष के लिये दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है।"

शासनादेश दिनांक 08 मई 2013 में निहित शर्तों के अधीन निजी प्रवन्धतंत्र के अधीन संचालित विद्यालयों को औपबन्धिक मान्यता प्रदान की गयी है।

शासनादेश संख्या—89/अरसठ—3— 2018—2041/2018 दिनांक 11 जनवरी 2019 निर्गत किया गया जिसमें पूर्व में निर्गत मान्यता संबंधी शासनादेशों को अवक्रमित करते हुए अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कलों को मान्यता दिये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश निर्गत किया गया है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि शासनादेश दिनांक 08 मई 2013 की शर्तों के अधीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों को शासनादेश दिनांक 08 मई 2013 के प्रस्तर—13 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत जिन विद्यालयों को औपबन्धिक मान्यता प्रदान की गयी है तथा मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं हुआ है तो औपबन्धिक मान्यता प्राप्त होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(प्रताप सिंह बघेल) 10.10.2025
शिक्षा निदेशक (बेसिक),
उ0प्र0 लखनऊ।

पृ0सं0: शि0नि0(बे0)/मान्यता/38274-371 /2025—26 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1— निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
2— विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग—3, उ0प्र0 शासन।
3— महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ0प्र0, लखनऊ।
4— अपर शिक्षा निदेशक(बेसिक), उ0प्र0, प्रयागराज।
5— सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद्, उ0प्र0, प्रयागराज।

(प्रताप सिंह बघेल) 10.10.2025
शिक्षा निदेशक (बेसिक),
उ0प्र0 लखनऊ।

Scanned with OKEN Scanner

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जौनपुर

सेवा में

प्रबन्धक,

प्रा0 विद्यालय श्री रचीत रंजन कान्वेन्ट स्कूल प्राथमिक विद्यालय मैदा नगर प्राथमिक विद्यालय माड़ियाहूं

जनपद—जौनपुर जौनपुर

पत्रांक—शिविर/ /200 —200 दिनांक— 27-4-05

विषय :—प्रा० वि० की अस्थाई/स्थाई मान्यता एव नवीनीकरण के सम्बन्ध में :—

महोदय,

आपके आवेदन पत्र के सम्बन्ध एवं उप विद्यालय निरीक्षक, क्षेत्रीय प्रति उप विद्यालय निरीक्षक/सहायक बालिका विद्यालय निरीक्षक उप बालिका विद्यालय निरीक्षक/शिक्षा अधीक्षक, नगर क्षेत्र जौनपुर की आख्या एव संस्तुति के आधार पर आपके विद्यालय की कक्षा 1 से 5 तक को अस्थाई/स्थाई मान्यता/~~नवीनीकरण~~ दिनांक 20-4-05 — — — —से तीन वर्ष के लिए निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जा रही है।

1— समुचित शिक्षा सामग्री की व्यवस्था की जाय।

2—अध्यापक /कर्मचारियों की बे० शिक्षा प्रा0 मे कार्यरत अध्यापकों व कर्मचारियों के अनुसार वेतमान दिया जाय।

3—स्वीकृत पाठ्य पुस्तकें पढ़ाई जाय।

4—विभागीय निर्देश का पालन किया जाय।

5—बे० शि० पा० के नियमों के अनुसार तथा उसमें प्राविधानित योग्यता धारी अध्यापक/नियुक्त किये जाय।

6—बे० मान्यता प्राप्त विद्यालय (अध्यापक) को सेवा शर्तनियमावली 1975 के अनुसार अध्यापकों की नियुक्ति यदि की जाय तथा नियमों का पूर्ण पालन किया।

7—विद्यालय के पास निजी भूमि निर्धारित माप के हो।

8—विद्यालय से सम्बन्धित सभी भूमि विद्यालय के नाम होना आवश्यक है।

यदि आगामी सत्र में उपरोक्त नियमों का पालन करते हुए सभी प्रतिबन्धों की पूर्ति नहीं की जाती है और उसकी आख्या इस कार्यालय में प्रमाण सहित नहीं प्रस्तुत होता है। तो अगामी सत्र में मान्यता का नवीनीकरण नहीं किया जायेगा। किसी प्रकार नियमों का उलघन करने पर या विभागीय आदेशों का पालन न करने पर प्रदत्त मान्यता किसी भी समय समाप्त कर दी।

भवदीय—

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
जौनपुर

पृ० सं०/शिविर/ 385 /200 —200 दिनांक 27-4-05

प्रतिलिपि उप विद्यालय निरीक्षक/शिक्षा अधीक्षक, नगर क्षेत्र जौनपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जौनपुर

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जौनपुर।

सेवामें,

प्रबन्धक,
श्री चितरंजन कान्वेट जू0हा0स्कूल
अशर्फीलाल वैद्यनगर, मड़ियाहूँ, जौनपुर।

पत्रांक / बे0–2 / मान्यता / 3505.14 / 2009–10 दिनांक 1-7-09

विषय– अशासकीय उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8 तक) अस्थायी मान्यता के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासनादेश स0–646 / 15–97–18 एस (7) दिनांक 13–8–97 में दिये गये प्राविधानों के अर्न्तगत मण्डलीय स्तर पर गठित मान्यता समिति के निर्णयानुसार आप के विद्यालय को कक्षा 6 से 8 तक अस्थायी मान्यता आदेश निर्गत तिथि से प्रदान की जाती है।

प्रत्येक कक्षा हेतु एक वर्ग की अनुमति प्रदान की जाती है। इस प्रकार विद्यालय में कुल 3 वर्ग मान्य होगें। अतिरिक्त वर्गो के संचालन हेतु अनुमति पृथक से नियमानुसार प्राप्त की जायेगी। शासनादेश में निहित मानको के अनुसार आप के विद्यालय हेतु निम्नलिखित शिक्षक एवं शिक्षणत्तर कर्मचारियों के पद अनुमन्य होगे।

प्रधानाध्यापक	एक
सहायक अध्यापक	चार
लिपिक	एक
चतुर्थ श्रेणी कर्मी	एक

उक्त जनशक्ति त्रिभाषा अध्यापक सम्मिलित माने जायेगे, किन्तु त्रिभाषा सूत्रान्तर्गत पद की अनुमन्यता हेतु उपर्युक्त सृजित सहायक अध्यापकों के चार पदों मे से पद परिवर्तन सम्बन्धी पृथक से आवेदन पत्र प्रस्तुत न करने की स्थिति में मान्यता प्रत्याहरण का अधिकार उ0प्र0 बे0शि0परिषद को होगा।

भवदीय

(धीरेन्द्र नाथ सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जौनपुर

पृ0सं0 / बे0–2 / मान्यता / / 2009–10 तद्दिनांक–

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–अपर शिक्षा निदेशक (बे0) उ0प्र0 शिक्षा निदेशालय इलाहाबाद।
2–सचिव उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद।
3–सहायक शिक्षा निदेशक (बे0) पंचम मण्डल वाराणसी।
4–वित्त एवं लेखाधिकारी (बे0शि0) जौनपुर।
5–उपबेसिक शिक्षा अधिकारी जौनपुर।
6–जिला समाज कल्याण अधिकारी जौनपुर।
7–अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जौनपुर।
8–पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी जौनपुर।
9–सम्बन्धित स0बे0शि0 अधिकारी / नगर शिक्षा अधिकारी जनपद जौनपुर।

(धीरेन्द्र नाथ सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जौनपुर